

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 1/2019- माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2019 वह तारीख नियत करती है जिसको माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 34) के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा.स. एस-31011/10/2018-एसटी-II-डीओआर]

(एन गांधी कुमार)
डिप्टी सचिव, भारत सरकार